

**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
HABIBGANJ, BHOPAL 462024**



**Tender of Sale unusable scrap
(Annual Rate Contract Basis)**

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
HABIBGANJ, BHOPAL 462024

**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT****HABIBGANJ, BHOPAL 462024**

AN ISO 9001 : 2015 Certified Organization

E-mail: bsdsim@gmail.com


Phone 0755-2478250-53 Fax : 0755-2450896

Ref No: 60**Dated:08/12/2023****E-TENDER 1st call**

Online E-Tender are invited Bhopal Sahakari Dugdh Sangh for **Sale of unusable scrap** for the whole year "As is where is" basis. Tenders are invited mainly for Waste Leakage Pouch Film Polythene (Usable Items available in Scrap Yard) in Scrap Material. The tender documents containing the terms and conditions can be purchased online & downloaded through following website <http://www.mptenders.gov.in> from 08.12.2023 onwards. The tender will be opened in the office of the undersigned as mentioned in tender time schedule (key date). The detailed Tender Form can be seen (only for reference) at our HO website: www.sanchibhopal.com Any changes in tender documents will be notified on above website only and not at any other sources/platforms, hence bidders are requested to visit the site regularly. The Chief Executive Officer Bhopal Sahakari Dugdh Sangh Maryadit has all the right to accept or reject any or all bids.

Name of item	EMD (Rs)	Tender Fee (Rs)	Bid submission due date & time	Bid opening Date & time
Waste Leakage Pouch Film Polythene Scrap	1,00,000/-	500/-	21.12.2023 03:00 PM	22.12.2023 03:00 PM

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

HABIBGANJ, BHOPAL 462024

AN ISO 9001 : 2000 Certified Organization

E-mail: bsdsim@gmail.com

Phone 0755-2478250-53 Fax : 0755-2450896

निविदा प्रपत्र

निविदा संदर्भ	: भोसदुसं / कय / स्केप / 2023
अनुसूची प्रथम	: कार्य का विवरण एवं सामान्य शर्तें
अनुसूची द्वितीय	: अनुपयोगी वस्तुओं का विवरण एवं प्रत्येक हेतु निर्धारित धरोहर राशि
निविदा फार्म	: दरें ऑनलाईन भरना होगा
निविदा दस्तावेज खोलने का स्थान	: कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।
सूचना एवं पत्राचार हेतु पता	: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल-462024.
निविदा प्रपत्र का कय मूल्य	: रु. 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुसूची प्रथम

कार्य का विवरण, परिस्थितियाँ एवं सामान्य शर्तें –

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल में पालिथीन स्क्रेप मटेरियल 'जहाँ एवं जिस स्थिति में है' के विक्रय हेतु 1 वर्ष की अवधि के लिये दरें आमंत्रित करता है। निविदा के सामान्य शर्तें अनुसूची प्रथम एवं स्क्रेप मटेरियल के विस्तृत विवरण मय वॉछित धरोहर राशि अनुसूची द्वितीय में दर्शाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को प्राप्त किसी एक या सम्पूर्ण निविदायें निरस्त करने का अधिकार हैं, जिसके लिये उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
2. निविदा प्रस्तुति :
 - I. निविदाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं में पता, दूरभाष, ई-मेल आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ भोपाल कार्यालय को सूचित करें ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।
3. धरोहर राशि :
 - I. सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि समूह अनुसार वॉछित धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एवं संघ में यदि किसी भी मद में पूर्व में धरोहर राशि जमा हो तो वह भी मान्य नहीं होगी।
बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
 - II. मध्यप्रदेश राज्य के एमएसएमई उद्योगों को निविदा की ईएमडी और निविदा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। एमएसएम प्रमाणपत्र आपूर्ति/सामग्री/कार्यो की प्रासंगिक श्रेणी का होना चाहिए। (एमएसएमई प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।)
 - III. धरोहर राशि असफल निविदाकर्ताओं को निविदा अनुमोदन के 90 दिन के अन्दर वापिस की जायेंगी। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि संघ द्वारा बतौर प्रतिभूति की राशि के रूप में रखा जा कर निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेंगी।
 - IV. धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. दरो की वैधता :
 - I. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपयोगी वस्तुओं की दरें वर्ष भर स्थिर होनी चाहिये। अतः संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि तक दरों की वैधता को ध्यान में रखकर ही दरें प्रेषित करें। दरों का अनुमोदन वित्तीय निविदा खुलने के 15 दिवस में सफल निविदाकारों को सूचित किया जावेगा।
 - II. आवश्यकतानुसार उच्चतम दर के निविदाकार से आपसी सहमति से निविदा दरो के संबंध में सुलह वार्ता (Negotiation) की जा सकती है।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को अनुपयोगी वस्तुओं के विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार हैं, किन्तु वे कोई निविदा का अंश या सम्पूर्ण निविदायें जो संघ में प्राप्त हैं, बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। बिका हुआ निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा विक्रय उपरांत इसे न तो वापिस लिया जावेगा और न ही राशि वापिस की जावेगी।
6. निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा, संघ का नहीं।
7. निविदा जमा करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तुओं की कोई भी निश्चित मात्रा अंश या बिल्कुल नहीं विक्रय करने के लिये संघ स्वतंत्र है।
9. सफल निविदाकर्ता को, संघ में उपलब्ध अनुपयोगी वस्तु "जहाँ है जैसी हैं" स्थिति में क्रय कर उठाना होगा। उदाहरण स्वरूप जूट बैग/कागज के बैग, पेपर के कार्टून आदि स्क्रेप गीला सूखा उठाना होगा।
10. संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तु उठाने हेतु दो स्मरण पत्र दिये जावेंगे जो डाक द्वारा भेजे जावेंगे। उनके उत्तर अप्राप्त होने या उस पर निविदाकर्ता द्वारा वांछित क्रय कार्यवाही न करने की स्थिति में संघ को निविदाकर्ता की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
11. निविदाकर्ता अनुसूची द्वितीय में दर्शाई धरोहर राशि वर्ग समूह के आधार पर प्रेषित करना अनिवार्य है।
12. यदि निविदाकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई दरें प्रेषित करता है एवं यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को नियम के विपरीत लगता है तो वह निविदा निरस्त कर सकते हैं।
13. निविदाकर्ता द्वारा अनुपयोगी वस्तु की जितनी मात्रा होगी उतनी ही उठानी होगी संघ की किसी भी अनुपयोगी वस्तु की मात्रा को छांटने की अनुमति निविदाकर्ता को नहीं होगी। स्क्रेप मटेरियल को एकत्रित करना लोडींग एवं परिवहन की व्यवस्था निविदाकार की होगी।
14. समस्त स्क्रेप सामग्री के संबंध में स्वीकृत दर निविदाकर्ता को स्क्रेप विक्रय आदेश प्राप्त होने पर भंडारित स्क्रेप क्रय कर डेरी परिसर से प्रतिमाह उठाकर ले जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा दुग्ध संघ निविदाकर्ता का आदेश निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर सकेगा।
15. यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी।
16. अनुपयोगी स्क्रेप को एकत्रित करने के लिये निविदाकर्ता को स्वयं का अपना प्रतिनिधि डेयरी में भेजना होगा। असफल होने की स्थिति में संघ द्वारा स्क्रेप एकत्रित कराया जायेगा जिसका व्यय स्वयं निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
17. **क्रय प्रणाली एवं भुगतान :**
प्रत्येक आयटम/लॉट का विक्रय संघ द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जावेगा। सामग्री का निर्गमन निर्धारित धनराशि जमा करवाने के पश्चात भंडार शाखा द्वारा आवश्यक प्रपत्र मिलने के बाद ही कार्यालयीन दिवसों में सायं 4.00 बजे तक किया जायेगा। खाली गाड़ी व भरी गाड़ी तौलने हेतु संघ के नियमानुसार स्क्रेप क्रेता को शर्तें मान्य करना अनिवार्य है अर्थात् खाली गाड़ी पहले संघ के तौल कांटे पर तौल की जावेगी इसके बाद भरी गाड़ी का वजन संघ के तौल कांटे पर किया जावेगा, जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
18. स्क्रेप पर शासकीय नियमानुसार विक्रय कर एवं अन्य जैसे टीसीएस निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा के साथ फर्म का या मालिक होने का प्रमाण पत्र सहित पेन कार्ड का नं0 एवं GST registration की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
19. उपयोगी सामग्री को संघ किसी भी समय अलग निकालने को स्वतंत्र रहेगा एवं अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की मात्रा को स्वीकार कर क्रय करना होगा।
20. संघ के कर्मचारी/अधिकारी को स्वयं के वास्ते जो सामान की यदि आवश्यकता होगी उसे स्वीकृत दर पर विक्रय किया जा सकेगा, इसमें अनुमोदित निविदाकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
21. यदि आवश्यक होने पर किसी भी स्क्रेप सामग्री की अनुमोदित दर को अनुमोदित निविदाकार के पक्ष में निर्धारित समय सीमा से 6 माह तक बढ़ाने का अधिकार संघ को होगा। जो कि निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।
22. यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि अनुमोदित निविदाकर्ता द्वारा संघ के आदेश का पालन न करने पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा जो संबंधित निविदाकर्ताओं पर बन्धनकारी होगा।
23. **विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :**

किसी भी प्रकरण मे सामग्री क्रेता एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आर्बिट्रेशन एक्ट अनुसार कार्यवाही संपादित की जावें। किसी भी प्रकरण मे सामग्री क्रेता एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अध्यक्ष दुग्ध संघ, एमपीसीडीएफ का प्रतिनिधि तथा आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि की संयुक्त समिति को आर्बिट्रेशन हेतु प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।

24. सभी प्रकार के न्यायालयीन विवादों का स्थान भोपाल शहर मे होगा।
25. निविदाकार को **Technical bid** के साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फर्म के पक्ष मे प्रदायित **Plastic Recycler** का पंजीयन प्रमाण पत्र (जीवित) संलग्न करना अनिवार्य होगा, पंजीयन न होने की स्थिति मे निविदा अमान्य की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

: अनुसूची द्वितीय :

अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं निर्धारित धरोहर राशि का विवरण

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	अमानत राशि रूपये
वर्ग समूह 1	Scrap of waste leakage milk pouches, Empty Bag of Milk Powder (25 kg capacity), Broken Glass Bottles, Wooden broken packing box, Empty Bag of Washing Soda & Caustic Soda, Unused Plastic cups, Old corrugated box, Paper Core of Pouch film, Empty paper bag of Milk Powder and Etc.	1,00,000 /—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

: निविदा फार्म :
(Form A)

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज भोपाल.

सेवा में,

आपके **निविदा संदर्भ: भोसदुसं/कय/स्केप/2023**के संदर्भ में निविदा में दी गई सभी शर्तें हमारे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा हमें स्वीकार हैं।

ऑनलाईन EMD Transaction acknowledgement कं.....
..दिनांक..... राशि रु0.....(धरोहर राशि की सत्यप्रति संलग्न है)

स्केप टेंडर की निविदा की समस्त शर्तें व भोपाल दुग्ध संघ द्वारा जारी निर्देश मुझे मान्य व स्वीकार्य हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

फोन न0.....

पेन न0.....

GST न0.....

—0—0—0—0—



**BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
HABIBGANJ, BHOPAL 462024**

**(Price bid Format)
(To be submitted Financial Bid Online only)**

S. No.	DESCRIPTION	Lump sum RATE F.O.R Dairy (GST & Other Taxes Extra.)
1.	Scrap of waste leakage milk pouches, Empty Bag of Milk Powder (25 kg capacity), Broken Glass Bottles, Wooden broken packing box, Empty Bag of Washing Soda & Caustic Soda, Unused Plastic cups, Old corrugated box, Paper Core of Pouch film, Empty paper bag of Milk Powder and Etc.	Submit Online in excel format only

Note:

1. Purely indicative for e-tender as the rates are required to be filled on these lines in **the prescribed BOQ in Excel format.**
2. दरों में GST एवं TCS सम्मिलित नहीं है, जो कि प्रचलित दरों के आधार पर अतिरिक्त देय होगा।

—0—0—0—0—